sured their houses against fire and they had field their claims to the general insurance companies after their houses were set on fire and destroyed by rioters;

(b) if so, how many such victims had put forward their claims with the insurance companies;

(c) whether it is also a fact that such claims were rejected by the insurance companies on the ground that their houses were set on fire by the rioters and such eventuality was not covered by the policy,

(d) whether Government propose to review such cases and instruct the insurance companies to pay the insurance amount to the affected victims; and

(e) if so, by when such payments are likely to be made to the victims?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The insurance companies maintain statistics of claims reported and settled only as per the classes of business such as, fire, marine, motor & miscellaneous and not housewise/propertywise. As such, it is not possible to indicate the number of such cases.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e) Where claims were repudiated by the insurance companies on the ground that there was no riot cover, Government has already considered and sanctioned ex-gratia payment upto the maximum of Rs. 50,000/- or 50 per cent of the assessed loss which ever was less.

Rise in Prices of Cotton

116. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI. Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the prices of Cotton has shot up recently; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES AND FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI HUKUMADEO NARAYAN YADAV): (a) and (b) The prices of cotton during the current cotton season (September, '90—August, '91) have ruled higher as compared to the prices during the corresponding period of the previous season. The main reasons for this are shorter than expected crop, higher demand, and difficulties in movement due to late rains and diesel supply.

भारत बिजनेस इंटरनेशनल लिमिटेड को बंद किया जाना

117. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री सुनील बसु राय :
श्री वी. नारायणसामी :
श्री भुवनेश चतुर्वेदी :
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में भारत बिजनेस इंटरनेशनल लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रतिष्ठान को बंद करने का निर्णय ले लिए जाने के परिणामस्वरूप जापान की एक बड़ी फर्म मिट्सु बिशी इनकारपोरेट ने 100 मिलियन डालर के एक निर्यात समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है,

(घ) यदि हां, तो उक्त फर्म के प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्ति क्या है, और

(ङ) सरकार ने भारत बिज़नेस इन्टरनेशनल लिमिटेड के कर्मचारियों को नौकरी उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनाई है;

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) तथा (ख) ऐसा विनिश्चय किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेने के बाद भारत बिज़नेस इन्टरनेशनल लिमिटेड (बीबी०आई०एल०) को बन्द करने के सम्बन्ध मे उपाय आरभ किए जाएं । ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया है क्योकि सरकार तथा व्यापारिक निगमो के बी०बी०आई०एल० की अतिरिक्त कड़ी अनावश्यक समझी गई है ।

(ग) तथा (घ) जी नही ।

(ङ) चूकि भारत बिज़नेस इन्टरनेशनल लिमिटेड में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी सहायक निगमो से प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य कर रहे है इसलिए, उन्हें भारत बिज़नेस इन्टरनेशनल लि० के बन्द हो जाने पर सम्बन्धित सहायक निगमों को वापस भेज दिया जाएगा ।

PROCLAMATIONS UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION.

खाद्य तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हेगमदेव नारायण यादव): श्रीमान्, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) (क) संविधान के अनुछेद 356 के अधीन कर्णाटक के संबंध में उक्त अनुच्छेद के खण्ड 3 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 10 अक्तूबर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा [सा०का०नि० सं० 833 (अ)] शुद्धिपत्र [सा०का०नि० स० 878 (अ)] दिनाक 1 नवम्बर, 1990 सहित ।

(ख) उपरोक्त उद्घोषणा के खड (ग) के उपखण्ड (i) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया आदेश [सा.का.नि. स० 834(अ)] दिनाक 10 अक्तूबर, 1990 ।

(ग) राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने की सिफारिश करने वाला कर्णाटक के राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 10 अक्तूबर, 1990 ।

(ii) उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन कर्णाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 17 अक्तूबर, 1990 को जारी की गई, अपनी 10 अक्तूबर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का प्रतिसंहरण करने वाली, उद्घोषणा [सा०का० नि० सं० 849(अ)]

(iii) (क) सविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (3) के अधीन असम राज्य के संबंध में उक्त अनुच्छेद के खण्ड (3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा [सा०का०नि० सं० 925 (अ)] शुद्धिपत्र, [सा०का०नि० स० 941 (अ)] दिनांक 10 अक्तूबर, 1990 सहित ।

(ख) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश [सा०का० नि० सं० 926(अ)] दिनांक 27 नवम्बर 1990 ।

(ग) असम के राज्यपाल का राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने की सिफारिश करने वाला 26 नवम्बर, 1990 का प्रतिवेदन ।

(iv) (क) संविधान के अनुछेद 356 के अधीन गोवा राज्य के संबंध में उक्त अनुच्छेद के खण्ड 3 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 14 दिसम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा [सा०का०नि० सं० 949 (अ)]